डीजी-परिपत्र संख्या-11/2019

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 15,2019

विषयः उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम-2017(2018 का अधिनियम संख्या-4) द्वारा मूल अधिनियम, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 के विभिन्न प्राविधानों में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन एवं परिवर्द्धन से आप सभी भली-भांति अवगत है। हाल ही में घटित घटनाओं के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों एवं इस अधिनियम के प्राविधानों का आप सभी के स्तर से कड़ाई से अनुपालन किया जाये, ताकि प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आप सभी को पुनः उपरोक्त संशोधन अधिनियम की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, संशोधित अधिनियम के प्राविधानों के प्रमुख विशिष्टियां निम्नवत् हैः-

2. इस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा-50,51,52,53,54,55 एवं 60 में संशोधन एवं परिवर्धन करके अपराध कारित करने वाले के साथ ही अपराध का दुष्प्रेरण करने वाले को भी दण्ड का भागीदार बनाया गया है, साथ ही विभिन्न धाराओं में वर्णित अपराध को भी अधिक विस्तार प्रदान करते हुये दण्ड एवं जुर्माने की मात्रा में भी अभिवृद्धि की गयी है।

3. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 के मूल अधिनियम में धारा-60 के पश्चात् धारा-60ए जोड़ी गयी है, जिसके अन्तर्गत किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से अपायकर करने हेतु मिश्रित किया जाना या ऐसे मिश्रण से हुये अपायकर पदार्थ का विक्रय करना या विक्रय के लिये प्रदान करना, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या अन्य कोई परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, के लिये भिन्न-भिन्न दण्ड का उपबन्ध करते हुये मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

4. मूल अधिनियम की धारा-60,62,63,64,64ए,65,66,67,68 एवं 69 में उपबन्धित दण्ड की मात्रा में अभिवृद्धि की गयी है तथा धारा-70,71,74 एवं 74ए में भी संशोधन किया गया है। धारा-72 की उपधारा-2 के स्थान पर नई उपधारा प्रतिस्थापित की गयी है। अधिनियम की धारा-3 के खण्ड-12 के उपखण्ड-क(1) में भी संशोधन किया गया है। इस धारा के खण्ड-12 के

Scanned by CamScanner

उपखण्ड-2 को निरसित कर दिया गया है तथा उपखण्ड-4 में पृथक प्राविधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा-28 की उपधारा-1 के अन्त में परन्तुक (Proviso) की अभिवृद्धि करते हुये उपधारा-3 व 4 को निरसित कर दिया गया है।

मैं अपेक्षा करूँगा कि आप सभी इस संशोधन अधिनियम के प्राविधानों का भली-भाँति अध्ययन कर लें एवं अपने जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय करते हुये एक गोष्ठी का आयोजन कर उ0प्र0 आबकारी(संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों एवं पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

15.2.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

क्रम-संख्या—16

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018
पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2731/79-वि-1—17-1(क)-20-17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह 27 सितम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

Scanned by CamScanner

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 3 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के खण्ड (12) में,–

(क) उपखण्ड (1) में, शब्द "सिद्धि या गांजा" के स्थान पर शब्द "या सिद्धि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपखण्ड (2) निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(4) कोई अन्य मादक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे।"

धारा 28 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 28 में उपधाराएं (3) एवं (4) दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से निकाली गयी समझी जायेंगी।

धारा 30 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक उदग्रहीत प्रतिफल शुल्क, धारा 28 के अधीन उत्पाद शुल्क समझा जायेगा।"

धारा 50 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 50 में,–

(क) शब्द "अपराध करता हुआ" के स्थान पर शब्द "अपराध करता हुआ या उसके लिये दुष्प्रेरित करता हुआ" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द तथा अंक "धारा 60" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 60, धारा 60क" रख दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 51 में शब्द "कोई अपराध किया है" के स्थान पर शब्द "कोई अपराध किया है अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किया है" तथा शब्द एवं अंक "धारा 60" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 60, धारा 60क" रख दिये जाएंगे।

धारा 52 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 52 में, शब्द एवं अंक "धारा 60" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 60, धारा 60क" रख दिये जाएंगे।

धारा 53 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 53 में, शब्द एवं अंक "धारा 60" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 60, धारा 60क" रख दिये जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 54 में प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारण्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलेक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय।"

धारा 55 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"55 धारा 60 की उपधारा (2), धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क और उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय कोई अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होगा।"

धारा 60 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"60 (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लघंन करके,–

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है; अथवा

Scanned by CamScanner

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है; अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं हैं) का संग्रह या विक्रय करता है; अथवा

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; अथवा

(ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रुपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।"

नई धारा 60क का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

अपायकर पदार्थ को मदक वस्तु में मिश्रित करने के लिये तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिये शास्ति

"60क—जो कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे अपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य अपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तु की ओट में उपभोग हेतु विक्रय करता है, उसे प्रदान करता है या विक्रय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, को दण्डित किया जायेगा,—

Scanned by CamScanner

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु जो पाँच लाख रुपये से कम न होगा, के लिये भी दायी होगा;

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप विकलांगता या घोर उपहति होती है, तो आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक हो सकता है किन्तु छः वर्ष से कम न होगा, और जुर्माना से, जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रुपये से कम न होगा;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई उपहति या कोई अन्य परिणामी क्षति पहुँचती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है, किन्तु एक वर्ष से कम न होगा और जुर्माना से, जो दो लाख पचास हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु एक लाख पच्चीस हजार रुपये से कम न होगा।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनार्थ पद ''उपहति'' या ''घोर उपहति'' के अर्थ वही होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की क्रमशः धारा 319 एवं 320 में हैं।''

धारा 62 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 62 में शब्द ''जुर्माना से भी जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा'' के स्थान पर शब्द ''जुर्माना से जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा'' रख दिये जाएंगे।

धारा 63 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

मादक वस्तु के अवैध आयात के लिये शास्ति

''63–जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।''

धारा 64 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 64 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ग) ऐसे मामले, जिसके लिये धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा-40 एवं 41 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जुर्माना, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।''

धारा 64क का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 64क में,–

(क) उपधारा (1) निकाल दी जायेगी;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पाँच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' तथा शब्द ''पाँच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 65 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''छः माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' तथा शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पाँच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पाँच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पाँच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 66 में शब्द ''तीन माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' तथा शब्द ''पाँच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पाँच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

19–मूल अधिनियम की धारा 67 में शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" तथा शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 67 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 68 में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 68 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 69 में, प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड में, शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" तथा शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे। धारा 69 का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 69 क में शब्द अक्षर और अंक "धारा 60 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (ख), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) या धारा 62 के" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 60, धारा 60 क, धारा 62, धारा 63 या धारा 65" रख दिये जायेंगे। धारा 69क का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 70 में,– धारा 70 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न किया जाय, धारा 60, धारा 60 क, धारा 62, धारा 63, धारा 64 क, धारा 65 या धारा 69 ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का; या"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट, धारा 60 क की उपधारा (क) तथा (ख) एवं धारा 67 के अधीन किये गये अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किसी अपराध से भिन्न इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि अभियोजन, उस दिनांक, जिस दिनांक को अपराध किया जाना अभिकथित हो, के पश्चात् एक वर्ष के भीतर न संस्थित किया जाय।"

24–मूल अधिनियम की धारा 71 में,– धारा 71 का संशोधन

(क) शब्द और अंक "धारा 60" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 60, धारा 60क" रख दिये जायेंगे;

(ख) प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60क तथा धारा 69ख में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को जुर्माना देने में व्यतिक्रम के सिवाय कारावास का दण्ड नहीं दिया जायेगा।"

25–मूल अधिनियम की धारा 72 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– धारा 72 का संशोधन

"(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय वहां ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत एवं निरुद्ध करने वाला अधिकारी, ऐसे अधिग्रहण एवं निरुद्धता के दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर, ऐसी अभिग्रहीत सम्पत्ति, अभिग्रहण ज्ञापन और अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित अधिहरण हेतु विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर अधिग्रहण ज्ञापन और अभिग्रहीत सम्पत्ति सहित उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने पर तत्काल माल की सुरक्षित अभिरक्षा और भण्डारण हेतु आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे। यदि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से कलेक्टर को यह समाधान हो जाय कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन अधिहरण किये जाने का दायी हो गया है, तो वह ऐसी वस्तु या पशु का अधिहरण करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिये अभियोजन संस्थित किया गया हो या न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) मे निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह उसके अधिहरण के बदले में उसका अभिग्रहण किये जाने के दिनांक को उसके बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माना का भुगतान करे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।"

Scanned by CamScanner

धारा 73 क का संशोधन

26–मूल अधिनियम की धारा 73 क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

"73क–जहाँ धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु का अधिहरण किया जाय, वहाँ किसी न्यायालय द्वारा उस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अध्यधीन, यदि कलेक्टर की राय में अधिहरण की गयी मादक वस्तु मानव उपभोग योग्य नहीं है अथवा यदि अधिहरण की गयी मादक वस्तु को भण्डारित अथवा परिरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उक्त मादक वस्तु को नष्ट किये जाने का आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त मादक वस्तु को अधिहरण किये जाने के दिनांक से दो मास की समाप्ति के पश्चात् के सिवाय या जहाँ अधिहरण के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन या किसी अपील हेतु आवेदन-पत्र, इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील में पारित आदेश के अनुसार के सिवाय लम्बित हो, नष्ट नहीं किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन मादक वस्तु नष्ट किये जाने हेतु कोई आदेश, उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से मादक वस्तु बरामद किया गया हो, को 7 दिन की नोटिस के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये परिरक्षित किया जायेगा।"

धारा 74 का संशोधन

27–मूल अधिनियम की धारा 74 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1–क) में,–

शब्द एवं अक्षर "खण्ड (क) के अधीन" के स्थान पर शब्द एवं अक्षर "खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

शब्द "पचास रुपये जो तीन सौ रुपये तक हो सकती है" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये जो पाँच हजार रुपये तक हो सकती है" रख दिये जायेंगे।

धारा 74क का संशोधन

28–मूल अधिनियम की धारा 74क में, उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2017

29–(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में वाणिज्य कर विभाग के पश्चात् आबकारी विभाग दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। वर्ष 2016–17 में आबकारी विभाग द्वारा मात्र 14,272 करोड़ रूपये उपार्जित किये गये थे। गतवर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्ति हुई थी। उक्त कमी का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों, विशेषकर हरियाणा से अवैध मदिरा की तस्करी थी। उसी प्रकार से राज्य में अवैध मदिरा के निष्कर्षण से न केवल राज्य के राजस्व में क्षति हुई थी वरन् ऐसी अवैध तथा जहरीली मदिरा के उपभोग के कारण जन-जीवन की क्षति की घटनाएं भी होती थीं। आबकारी मामलों से सम्बन्धित ऐसी घटनाओं और अन्य समस्याओं का निवारण करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 में संशोधन करके मुख्यतः निम्नलिखित उपबन्ध किये जांयः–

(1) उक्त अधिनियम के दाण्डिक उपबन्धों को अपेक्षाकृत अधिक कड़ा किया जाना;

Scanned by CamScanner

(2) प्रतिफल फीस को उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल करने का उपबन्ध किया जाना;

(3) उत्पाद शुल्क की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपबन्धों को दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से समाप्त किया जाना;

(4) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 में सम्मिलित किये जाने के कारण संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से चरस एवं गाजा से सम्बन्धित उपबन्धों का निकाला जाना;

(5) दाण्डिक अपराधों में उत्प्रेरण को सम्मिलित किया जाना।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2017) प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2731(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka)-20-17

Dated Lucknow, January 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aabkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 4 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 27, 2017.

Amendment of section 3 of U.P. Act no 4 of 1910

2. In section 3 of the United Provinces Excise Act, 1910 hereinafter referred to as the principal Act, in clause (12),-

(a) in sub-clause (i) *for* the words "Sidhi or Ganja" the words "or sidhi" shall be *substituted*;

(b) sub-clause (ii) shall be *omitted;*

(c) *for* clause (iv) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(iv) any other intoxicating substance which the State Government may by notification declare to be an intoxicating drug;".

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act, sub-sections (3) and (4) shall be deemed to have been *omitted* from April 1, 2016.

Amendment of section 30

4. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that consideration fee levied from 01 April, 2016 upto the date of commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 shall be deemed to be Excise Duty under section 28".

Scanned by CamScanner

Amendment of section 50

5. In section 50 of the principal Act, -

(a) *for* the words "committing an offence"the words "committing or abetting an offence"shall be *substituted* ;

(b) *for* the word and figures "section 60"the words and figures "section 60, section 60A" shall be *substituted*.

Amendment of section 51

6. In section 51 of the principal Act *for* the words "committed any offence"the words "committed or abetted any offence" and *for* the word and figures "section 60" the words and figures "section 60, section 60A" shall be *substituted*.

Amendment of section 52

7. In section 52 of the principal Act *for* the words and figures "section 60" the words and figures "section 60, section 60A" shall be *substituted*.

Amendment of section 53

8. In section 53 of the principal Act *for* the words and figures "section 60" the words and figures "section 60, section 60A" shall be *substituted*.

Amendment of section 54

9. In section 54 of the principal Act *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:-

"Provided that an offence punishable under section 60, section 60A, section 61, section 62, section 63, section 64-A, section 65, section 68 or an offence punishable for abetment of any offence under the said sections may be investigated into without the order of a Magistrate, and that any warrant issued by the Collector under section 51 or section 52 may be executed by any officer authorised by the Collector for the said purpose."

Amendment of section 55

10. *For* section 55 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:-

"55. All offences punishable under sub-section (2) of section 60, section 60A, section 62, section 63, section 64-A and any offence punishable for abetment of any offence under the said sections, shall be non-bailable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973."

Amendment of section 60

11. *For* section 60 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:-

"60. (1) Whoever, in Contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any licence, permit or pass obtained thereunder:–

(a) exports any intoxicant; or

(b) transports or possesses any intoxicant which is not covered under section 63 of this Act; or

(c) collects or sells the leaves and small stalks (not accompanied by flowering or fruiting tops) of natural and spontaneous growth of wild Indian Hemp plant (Cannabis Sativa) other than charas, ganja or any other intoxicating drug covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985; or

(d) constructs or works any distillery, brewery, manufactory or vintnery; or

(e) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari; or

(f) removes any intoxicant from any distillery, brewery, manufactory, vintnery or warehouse licenced, established or continued under this Act; or

(g) bottles any liquor for the purposes of sale; or

(h) sells any intoxicant, save in the case provided for by section 61; or

(i) taps, or draws tari from any tari-producing tree in the areas notified under section 42 ;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which may extent to one thousend rupees in the case of an offence under sub clause (i) and in any other case, with imprisonment which may extend to three years and with fine which shall, not be less than ten times of the amount of consideration fee or duty which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made

Scanned by CamScanner

thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder, or two thousand rupees whichever is greater.

(2) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder or of any licence, permit or pass, obtained under this Act, manufactures any intoxicant shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

(3) Whoever, in contravention of this Act, or any rule or order made thereunder, consumes any intoxicant, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to two thousand rupees."

Insertion of new section 60A

12. *After* section 60 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:-

Penalty for mixing noxious substance with intoxicant and selling of noxious substance under the garb of intoxicant

"60A. Whoever, adulterates or causes to be adulterated any intoxicant by mixing any other substance or foreign ingredient to make such intoxicant noxious or sells, offers or makes or causes to be sold or offered or made available such noxious intoxicant or any other noxious substance for consumption in the garb of an intoxicant, likely to cause disability or hurt or grievous hurt or death or any other consequential injury to humanbeings, shall be punished;

(a) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees but shall not be less than five lakh rupees;

(b) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused, with imprisonment for life or rigorous imprisonment which may extend to ten years but shall not be less than six years and with fine which may extent to five lakh rupees but shall not be less than three lakh rupees;

(c) if as a result of such an act, any hurt or any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to two years but shall not be less than one year and fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees but shall not be less than one lakh twenty five thousand rupees.

Explanation:– For the purpose of this section the expression "hurt and grievous hurt" shall have the same meaning as in section 319 and section 320 respectively of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. XLV of 1860)."

Amendment of section 62

13. In section 62 of the principal Act *for* the words "liable to fine which may extend to five thousand rupees" the words "liable to fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees." shall be *substituted*.

Amendment of section 63

14. *For* section 63 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:-

Penalty for unlawful import of intoxicant and transport or possession of unlawfully imported intoxicant *etc.*

"63. Whoever, in contravention of this Act, or of any rule or order made thereunder, imports any intoxicant or transports or has in his possession any quantity of any intoxicant unlawfully imported, shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to five years and also with fine which shall not be less than ten times the amount of excise duty or consideration fee under section 30 which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any license, permit or pass obtained thereunder or five thousand rupees whichever is greater."

Scanned by CamScanner

Amendment of section 64

15. In section 64 of the principal Act *for* clause(c) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(c) save in a case provided for by section 60, willfully contravenes any rule made under sections 40 and 41 shall, for each such offence, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to five thousand rupees."

Amendment of section 64-A

16. In section 64-A of the principal Act,–

(a) sub-section (1) shall be *omitted;*

(b) in sub-section(2) *for* the words "two thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*;

(c) in the proviso to sub-section (2) *for* the words "two hundred rupees" the words "two thousand rupees" and *for* the words "five hundred rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 65

17. In section 65 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) *for* the words "six months" the words "one year" and *for* the words "two thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

(b) in sub-section (2) *for* the words "five hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 66

18. In section 66 of the principal Act *for* the words "three months" the words "one year" and *for* the words "five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 67

19. In section 67 of the principal Act *for* the words "three months" the words "one year" and *for* the words "five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 68

20. In section 68 of the principal Act *for* the words "five hundred rupees" the word "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 69

21. In section 69 of the principal Act, in the first proviso *for* the words "three months" the words "one year", and for the words "one year" the words "two years" shall be *substituted.*

Amendment of section 69-A

22. In section 69-A of the principal Act *for* the words letters and figures "clause (b), clause (d), clause (e) or clause (g) of sub-section (1) or of sub-section (2) of section 60 or of section 62" the words and figures "section 60, section 60-A, section 62, section 63 or of section 65" shall be *substituted.*

Amendment of section 70

23. In section 70 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(a) of an offence punishable under section 60, section 60-A, section 62, section 63, section 64-A, section 65 or section 69-B, except on his own knowledge or suspicion or on the complaint or report of an Excise Officer; or"

(b) *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) Except with the special sanction of the State Government no Magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this Act other than an offence committed or abetted under sub-sections (a) and (b) of section 60-A and section 67, unless the prosecution is instituted within a year after the date on which the offence is alleged to have been committed. "

Amendment of section 71

24. In section 71 of the principal Act,–

(a) *for* the word and figures "section 60" the words and figures "section 60, section 60-A" shall be *substituted*;

Scanned by CamScanner

(b) *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:-

"Provided that, notwithstanding anything to the contrary in sections 60A and 69B, no person other than the actual offender shall be punished with imprisonment except in default of payments of fine."

25. In section 72 of the principal Act *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 72

"(2) Where anything or animal is seized under any provision of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, within three working days from the date of such seizure and detention; produce a detailed report for confiscation alongwith such seized property, seizure memo and other relevant documents before the Collector. The Collector shall, upon receiving the said report alongwith seizure memo and seized property, immediately order for safe custody and storage of goods as he may deem fit. The Collector, if satisfied for reasons to be recorded that an offence has been committed due to which such thing or animal has become liable to confiscation under sub-section (1), he may order confiscation of such thing or animal whether or not a prosecution for such offence has been instituted:

Provided that in the case of anything (except an intoxicant) or animal referred to in sub-section (1), the owner thereof shall be given an option to pay *in lieu of* its confiscation such fine as the Collector thinks adequate, not exceeding its market value on the date of its seizure."

26. *For* section 73-A of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 73A

"73-A Where any intoxicant is confiscated under section 72 or section 73, the Collector, may, subject to any order passed in that behalf by any court if in his opinion the confiscated intoxicant is not fit for human consumption or if the confiscated intoxicant cannot be stored or preserved, order the intoxicant to be destroyed notwithstanding anything to the contrary contained in this Act:

Provided that the intoxicant shall not be destroyed except after expiration of two months from the date of confiscation or where an application for review or an appeal against the order of confiscation is pending except in accordance with the order passed in such, review or appeal in this regard:

Provided further that any order for destruction of the intoxicant under this section shall not be passed without providing opportunity of hearing after notice of seven days to the person from whose custody the intoxicant is recovered:

Provided also that adequate sample of the intoxicant shall be preserved to meet the evidentiary requirements."

27. In section 74 of the principal Act,– Amendment of section 74

(a) in sub-section (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1-A),-

(i) *for* the words and letter "under clause (a)" the words and letters "under clauses (a) and (b)" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "fifty rupees which may extend to three hundred rupees" the words "one thousand rupees which may extend to five thousand rupees" shall be *substituted*.

Scanned by CamScanner

Amendment of section 74-A

28. In section 74-A of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be *substituted.*

Repeal and saving

29. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 1 of 2017

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Excise Department is the second largest department after Commercial Tax Department in the State. In the year 2016-2017 Rupees 14,272 crore only were earned by the Excise Department. In the previous years the revenue receipt had been reduced relatively to the target fixed. The main reason for the said reduction was the smuggling of illegal liquor from the neighboring States particularly from Haryana. Similarly, the extraction of illegal liquor in the State has caused not only the loss of the revenue of the State but also incidents of the loss of lives of the people due to the consumption of such illegal and poisonous liquor. In order to prevent such incidents and other problems relating to the excise matters it has been decided to amend the United Provinces Excise Act, 1910 mainly to provide for,-

(1) making the penal provisions of the said Act more stringent;

(2) making provisions for realising consideration fee as Excise duty;

(3) abolishing the provisions relating to the maximum limit of Excise duty with effect from April 1, 2016;

(4) *omitting* the provisions relating to Charas and Ganja from the United Provinces Excise Act, 1910 because of their inclusion in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(5) including the abetment in the penal offences.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 (U.P. Ordinance no. 1 of 2017) was promulgated by the Governor on September 27, 2017.

2. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 796 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2501)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 157 सा० विधायी–2018–(2502)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

Scanned by CamScanner